नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एंटनी) : (क) से (घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन संबंध जिम्मेवारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । उचित दर दुकानों के आबंटन के लिए पात्रता संबंधी मानदंड, अत: क्षेत्रीय आबंटन, राशन कार्ड जारी करने, उपलब्धता की आवधिकता इत्यादि के संबंध में निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लिए जाते हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सलाह दी है कि वे उचित दर दुकानों का कुछ प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और महिलाओं को आबंटन करने के लिए सुरक्षित रखें । केन्द्रीय-सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, के बेरोजगार युवकों क लिए निर्धारित की गई और उन्हें आबंटित की गई उचित दर दुकानों के बारे में आंकड़े नहीं रखते ।

सुपर बाजार में खरीदारियों में अनियमितताएं

692 **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित सुपर बाजार में करोड़ों रुपए मूल्य के सामान/वस्तुओं की खरीद में अनियमितताओं की रिपोर्ट मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सुपर बाजार की वस्तुओं की खरीद से संबंधित अनेक दस्तावेज गायब हैं ;

(घ) क्या सुपर बाजार की खरीद शाखा में कार्यरत सहायक प्रबंधकों, सहायक कार्मिक प्रबंधक और उपमहाप्रबंधक की मिलीभगत से करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामले हुये हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) इसमें शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ; और

(छ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, या किये जाने के प्रस्ताव हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए०के० एंटनी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिल्ली विधान सभा चुनावों के लिए अपेक्षित लोहे के ट्रंकों की आपूर्ति में सुपर बाजार द्वारा अनियमितताएं बरते जाने की सूचना दी है । मामले को सुपर बाजार के मुख्य सतर्कता अधिकारी की जांच करने के लिए भेजा गया है, जो इस मामले की जांच कर रहे हैं । इस मामले के संबंध में कागजात के गायब होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) सरकार को सुपर बाजार में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है ।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता ।

Rise in prices of wheat and rice in open market

693. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether the prices of wheat and rice etc. in open market have risen on the expected increase in the prices of specified food items sold through Public Distribution System ;

(b) if so, by how much amount have the prices of wheat, rice etc., gone up in the open market in the ast one year

(c) whether there has been price crease in specified food items d through Public Distribution stem in the last two years ;

(d) if so, the details thereof and e reasons therefor ; and

(e) whether the consumers are equently inconvenienced because unabated increase in the prices daily needed items and the meares taken by Government to check e rise in prices have proved ineffecve; and

(f) if so, what effective measures overnment have taken or propose take to contain the constant price se of essential commodities ?

THE MINISTER OF CIVIL UPPLIES, CONSUMER AFFARS AND PUBLIC DISTRIBUION (SHRI A. K. ANTONY):) and (b), (e) and (f) Variations in e open market prices of foodgrains nnot necessarily be attributed to ie revision of Central Issue Price f foodgrains supplied through ublic Distribution System. Howver, Government regularly monirs the prices and availability of ssential commodities including heat and rice for initiating appropriate action for containing the price ise.

(c) and (d) Yes, Sir. The Central ssue Price (CIP) of wheat and rice re revised by the Government rom time to time to partially neutralise the increase in Minimum Support Prices/Procurement Prices paid to farmers for wheat and paddy. The C.I.P. of rice and wheat for the ast two years are given below :—

(Rs. per quintal)

Commodity	Central Issue Price w.e.f. 11-1-93	Ex-FCI godown w.e.f. 1-2-94
Wheat . .	330	402
Rice—Common . .	437	537
Fine .	497	617
Superfine .	518	648

सुपर बाजार में बिक्री सहायकों के संबंध में नियम

694. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार के बिक्री सहायकों के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तथा एक ही क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानांतरण करने संबंधित नियम क्या है ;

(ख) क्या इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है ;

(ग) सुपर बाजार के महाप्रबंधक के पास बिक्री सहायकों की एक क्षेत्र के अन्तर्गत और क्षेत्र से बाहर स्थानांतरण करने के संबंध में कितने प्रार्थना पत्र लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या यह सच है कि नियंत्रण कक्ष में कार्यरत एक महिला बिक्री सहायक को वस्त्र विभाग में स्थानांतरित किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(च) क्या किसी क्षेत्र के बिक्री सहायकों को उनके निवास के पास के क्षेत्र में पद रिक्त होने के बावजूद अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार बिक्री सहायकों के स्थानांतरण से संबंधित बकाया मामलों के निपटाने तथा उन्हें उनके निवास के पास के क्षेत्रों की शाखाओं में स्थानांतरित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री ए० के० एंटनी) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उसके कर्मचारियों के लिये एक सेवा एवं आचरण नियमावली मौजूद है जिसे फरवरी, 1986 से लागू किया गया है । इसके नियम 19 में कर्मचारियों